प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

पैन कार्ड बनाने के नाम पर आधार कार्ड से धोखाधड़ी कर फर्जी सिम निकालने व बैंक खाते खोलने वाले गिरोह का भंडाफोड़

03 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 27.08.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद सीतापुर में अवैध/संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

जिसके क्रम में थाना मिश्रिख क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खुर्शीदाबाद में ग्रामीणों से पैन कार्ड बनवाने का झांसा देकर निजी दस्तावेजों की जानकारी एकत्र करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को दिनांक 26.08.2026 को ग्रामीणों द्वारा पकड़कर थाना मिश्रिख लाया गया था। थाना मिश्रिख व साइबर टीम द्वारा प्रकरण की जांच/पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि-

पिछले कुछ दिनों से जनपद हरदोई के रहने वाले 1.करन कुमार पुत्र सागर सक्सेना निवासी मो0 पटेल नगर थाना माधोगंज जनपद हरदोई, 2.अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी फजलपुर थाना माधोगंज जनपद हरदोई, 3.हरिश्चन्द्र पुत्र सुरेश पाल निवासी जुटैला थाना बघौली जनपद हरदोई, 4. पिन्टू उर्फ मुनेन्द्र पुत्र चन्द्रप्रकाश नि0 मजिदपुरवा थाना बघौली जिला हरदोई, 5.विकास पुत्र राजेन्द्र प्रसाद नि0 फजलपुर थाना माधोगंज जन. हरदोई द्वारा ग्राम खुर्शीदाबाद थाना मिश्रित जनपद सीतापुर में आकर ग्रामीणों को पैन कार्ड बनवाने के नाम पर उनके आधार कार्ड लेकर मशीन पर अंगूठा लगवा रहे थे। उक्त व्यक्तियों द्वारा ग्राम खुर्शीदाबाद में करीब 65-70 ग्रामीणों के आधार कार्ड एवं बायोमेट्रिक का दुरुपयोग कर उनकी जानकारी/सहमति के बिना सिम कार्ड एवं बैंक खाते खुलवाये गये। एक ग्रामीण द्वारा सिम कार्ड लेने के दौरान जानकारी होने पर कि उसके आधार नम्बर से पूर्व में एयरटेल का सिम जारी हुआ है, मामले पर संदेह उत्पन्न होने पर पुलिस को सूचित किये जाने के क्रम में अभियुक्तों को हिरासत में लेकर मु0अ0स0 215/2026 धारा 3(5)/319(2)/318(4)/338/336(2)/340(2)/111 बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया व प्रकरण में संलिप्त अन्य व्यक्तियों की भूमिका, ग्रामीणों के आधार एवं बायोमेट्रिक का वास्तविक रूप से किस प्रकार उपयोग किया गया तथा किन-किन मोबाइल नम्बर/बैंक खातों को खोला गया, इसकी जांच की जा रही है। उपलब्ध डिजिटल एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का परीक्षण कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0स0 215/2026 धारा 3(5)/319(2)/318(4)/338/336(2)/340(2)/111 बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. करन कुमार पुत्र सागर सक्सेना निवासी मोहल्ला पटेल नगर थाना माधोगंज जनपद हरदोई।

2. अभिषेक पुत्र ओमप्रकाश निवासी फजलपुर थाना माधोगंज जनपद हरदोई।

3. हरिश्चन्द्र पुत्र सुरेश पाल निवासी जुटैला थाना बघौली जनपद हरदोई।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अदद पुराना रजिस्टर व पैनकार्ड बनाने की रसीद,
- चार मोबाइल फोन
- एक बायोमैट्रिक फिंगर प्रिन्ट मशीन
- तीन आधार कार्ड व एक लिखा स्टाम्प व एक सादा स्टाम्प